

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 123/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAMASHISH SHARMA

S/O -CHHATRADHANI SHARMA

AT-NAWALPUR NAWALPUR BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR

845438

Mob. No.7479985207


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P9297** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2022-SC-0145A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P9297 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P9297	5/25/1993	BR2022-SC- 0145A	1/13/2027

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 124/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAJDEO PASWAN

KRISHNADEO PASWAN

RASULPUR AHIYAPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No.7091011236


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P8836** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या 251 का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P8836 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P8836	8/17/1994	251	10/7/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 125/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MRS.SARASWATI DEVI

W/O RAMAKANT MISHRA

SOTIBHERIYAH KANTI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.8051610661


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P0896** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **421/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P0896 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P0896	3/1/1997	421/2019	9/13/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 126/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

AJEET KUMAR

HARI SINGH

LOMA MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No. Not Available


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06D7615** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **352/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06D7615 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06D7615	9/23/1998	352/2019	9/9/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 127/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

AWADHESH KUMAR

NAND KISHORE SINGH

BHAGWANPUR CHAUK MUZ MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

999999

Mob. No.7890000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06D9596** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **415/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06D9596 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06D9596	2/12/1999	415/2019	9/13/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 128/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAMAKANT MISHRA

LATE S.P.MISHRA

SOTI BHERIYAH KANTI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No.8890000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06C5996** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **226/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06C5996 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06C5996	7/28/1999	226/2019	5/30/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 129/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MANOJ SINGH

RAJENDRA SINGH

BANU CHHAPRA BETTIAH MUFFASIL W.CHAMPARAN PASHCHIM

CHAMPARAN BIHAR 999999

Mob. No.7991127894


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06C4780** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **057/2018** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06C4780 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06C4780	8/12/1999	057/2018	10/29/2028

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 130/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SMT.GEETA DEVI

ANIL KUMAR

KESARIA KESARIA E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR 845405

Mob. No.9430412550


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5608** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **536/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5608 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P5608	8/18/2000	536/2019	9/23/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 131/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SHYAM BIHARI

MAHENDRA NR.CHAUDHAR

KHARAUNA KURHANI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No.8900000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P9813** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **165/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P9813 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P9813	1/5/2001	165/2019	4/11/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 132/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

JITENDRA KUMAR SINGH

S/O -YUGAL KISHOR SINGH

AT-PARAS PAKDI PS-MAJHAULIA BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN

BIHAR 845454

Mob. No.7004410856


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22B7321** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **177/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22B7321 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR22B7321	1/17/2001	177/2019	4/11/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 133/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

NITESH KR.

S/O -SRI KAUSHAL KISHOR SINGH

AT-PO-PS-PAHARPUR PAHARPUR MOTIHARI PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845401

Mob. No.9504799488


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05P2929** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **00069/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P2929 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR05P2929	3/17/2001	00069/2014	6/19/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 134/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

BHOA KUMAR

ANAND PRAKASH

PURANI BAZAR SIKARPUR W.CHAMPRAN PURBA CHAMPARAN BIHAR

999999

Mob. No.7890000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4271** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2021-SC-0277A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4271 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P4271	6/25/2001	BR2021-SC- 0277A	2/17/2026

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 135/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAM SUNDRA RAI

NARSINGH RAI

NAYA TOLA NAYA TOLA MUZAFFARPUR PATNA BIHAR 999999

Mob. No. Not Available


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR1P9503** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **000126/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR1P9503 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR1P9503	7/11/2001	000126/2014	7/8/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 136/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

V SHARMA

S/O - RAMASHISH SHARMA

AT/PO/PS-NAWALPUR BETTIAH BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN

BIHAR 845438

Mob. No.7479985207


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22B9972** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **263/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22B9972 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR22B9972	7/20/2001	263/2019	9/5/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 137/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SUBODH KUMAR

S/O BINDESHWAR MISHRA

AT- B JAYANARAYAN SILOUT MUZAFFARPUR BIHAR 848101

Mob. No.9852967239


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR33P4879** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **107/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR33P4879 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR33P4879	8/1/2001	107/2019	4/11/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 138/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

JITENDRA KR SINGH

S/O -YUGAL KISHOR SINGH

AT-PARAS PAKARI MAJHAULIYA BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN

BIHAR 845454

Mob. No.9431400805


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22B7521** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **433/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22B7521 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR22B7521	8/7/2001	433/2019	9/12/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


30/01/24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 139/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

PARMILA SINGH

W/O -BAJAYENDRA SINGH

AT-PARAS PAKARI PO-CHANAYAN BADH PS-MAJHAULIYA BETTIAH

BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR 845438

Mob. No.9431400805


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P1178** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **178/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P1178 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR22P1178	9/2/2001	178/2019	4/11/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 140/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

AWADHESH KUMAR

NAND KISHORE SINGH

KRISHNAPURI BHAGWANP SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 842001

Mob. No.8899000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06E9696** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **225/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06E9696 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06E9696	11/6/2001	225/2019	5/30/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 141/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

AJAY KUMAR

S/O C.K. MISHRA

AT-GOPALPUR RAJA BAZAR MOTIHARI MOTIHARI PURBA CHAMPARAN
BIHAR 845401

Mob. No.9546453054


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05P5993** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **354/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P5993 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR05P5993	1/10/2002	354/2019	9/9/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 142/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SHEELA MISHRA

W/O M K MISHRA

AT-NARAHAN NIWAS MAGARDAHI SAMASTIPUR SAMASTIPUR

SAMASTIPUR BIHAR 848101

Mob. No.9430998999


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR33P5139** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **106/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR33P5139 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR33P5139	3/21/2002	106/2019	4/11/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 143/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

PRAVANJAN KUMAR THAK
CHNADRA SHEKHAR THAK
BHAWANIPUR JIRAT MOT BHAWANIPUR E.CHAMPARAN
MUZAFFARPUR BIHAR 842001
Mob. No.8051610661


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06E5996** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0223/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06E5996 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06E5996	3/22/2002	0223/2014	10/6/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 144/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

PANKES RANJAN

P.K.MISHRA

RASULPUR ZILANI KAZIMOHAMDUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR
BIHAR 999999

Mob. No.Not Available


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06F0666** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **000188/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06F0666 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06F0666	8/2/2002	000188/2014	9/30/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 145/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SMT.YASHBALA DEVI

W/O -ANAND KUMAR JHA

AT-SAGAR POKHRA MANDIR PO/PS-BETTIAH BETTIAH PASHCHIM

CHAMPARAN BIHAR 845438

Mob. No.9661921336


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P1358** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2022-SC-0813A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P1358 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR22P1358	10/24/2002	BR2022-SC- 0813A	4/15/2027

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 146/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SARASWATI SHISHU MAN

PRO. OM PRAKASH MASK

MILAN AUTO BODY BUIL KANKERBAGH, PATNA PATNA BIHAR 999999

Mob. No.9430820887


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR1P8394** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **472/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR1P8394 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR1P8394	12/28/2002	472/2019	9/15/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 147/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SMT.GITA DEVI

W/O ANIL KUMAR

KESHARIYA KESHARIYA E.CHAMPARAN PASHCHIM CHAMPARAN

BIHAR 845405

Mob. No.9430412550


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P0936** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **538/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P0936 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P0936	5/21/2005	538/2019	9/23/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 148/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

AJIT SHARMA

S/O AWDHESH KR SHARMA

AT KAUMA PIPRAHI SHEVHAR SHEOHAR BIHAR 999999

Mob. No.8521225639


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06G1791** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **478/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06G1791 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06G1791	12/1/2005	478/2019	9/15/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 149/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAJESH CHAUDHARY

S/O CHANDRIKA CHAUDHARY

AT-TURKAHA

PO+PS+DIST-GOPALGANJ

GOPALGANJ

BIHAR 999999

Mob. No.9430253400


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR28A4971** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **570/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR28A4971 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR28A4971	2/25/2006	570/2019	9/30/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 150/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

DUSYANT KUMAR

S/O DILIP KUMAR SINGH

KHAIRWA MANIYARI SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. No.8825237929


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30B8751** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0045A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30B8751 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR30B8751	3/22/2006	BR2020-SC- 0045A	1/13/2025

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 151/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MRS.GEETA DEVI

ANIL KUMAR

KESARIA KESARIA E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR 845405

Mob. No.9430412550


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P1819** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **00088/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P1819 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P1819	4/28/2006	00088/2014	6/19/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 152/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

M/S ANAND TREVELS

M/D ANAND KR.SINGH

KOLHUA DADAR AHIYAPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

999999

Mob. No.Not Available


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P1966** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0128/2009** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P1966 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P1966	7/17/2006	0128/2009	5/25/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 153/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MANOJ SHARMA

S/O RAMASHISH SHARMA

AT NAWALPUR P PS-JAGAPATTI E CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN

BIHAR 842001

Mob. No.9801078112


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5002** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0269A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5002 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P5002	9/1/2006	BR2020-SC- 0269A	3/8/2025

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 154/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

VIVEK KUMAR

S/O MURLIDHAR PD.SINGH

ATHARI RUNNISAIDPUR SITAMARHI BIHAR 843111

Mob. No.Not Available


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P2159** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या 471/2019 का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2159 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P2159	9/1/2006	471/2019	9/15/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 155/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

VIDAYA PATI TRIPATHI

LT.JAGDAMA PATI TRIPATI

BHGWANPUR MUZ MUZ MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No.9308504349


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P2255** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **353/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2255 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P2255	9/21/2006	353/2019	9/9/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 156/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

ALOK KUMAR PANDEY

S/O -RAM EKBAL PANDEY

AT-JAI PRAKASH NAGAR BETTIAH BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN

BIHAR 845438

Mob. No.9934983859


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P0403** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **040/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P0403 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR22P0403	10/20/2006	040/2014	6/16/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 157/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

UDAYSHANKER PD.SINGH

LT.DHARMDEV PD.SINGH

SHERPUR BELA SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No.9471665407


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P2516** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/86** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2516 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P2516	11/17/2006	BR/106/SC/BU S/2019/86	12/16/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 158/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RADHE SHYAM TIWARI

VISHWANATH TIWARI

JAY PRAKASH NAGAR CHANDWARA TOWN MUZAFFARPUR BIHAR

842001

Mob. No.7890000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P2653** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **564/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2653 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P2653	12/22/2006	564/2019	9/29/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 159/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SMT.USHA DEVI

W/O BHUNESHWAR P.SIN

ASHRAM ROAD RAXAUL RAXAUL E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN
BIHAR 999999

Mob. No.8980000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P2671** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **470/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2671 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P2671	12/26/2006	470/2019	9/15/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 160/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

NARESH KUMAR

NAND LAL SAHANI

NAYA TOLA SPEAKER CH KAZIMAHMADPUR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.8900000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5153** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **290/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5153 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P5153	1/5/2007	290/2019	9/5/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 161/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SMT.RENU MISHRA

DHARAMJEET KR.MISHRA

RASULPUR ZILANI KAZIMAHMADPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 842001

Mob. No.9431475521


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P2887** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0281/2009** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2887 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P2887	2/26/2007	0281/2009	7/30/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 162/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

PRABHAT SINGH

RAJENDRA SINGH

TENGRARI TENGRARI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.9431475712


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P2976** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **356/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P2976 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P2976	3/12/2007	356/2019	9/9/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 163/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

CHANDESHWAR PATHAK

YADUNANDAN PATHAK

KESHARIA PS KESHARIA PURBA CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No.9430253400


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3025** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **562/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3025 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P3025	3/28/2007	562/2019	9/30/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 164/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

ARVIND KUMAR RAI

S/O GAGDISH RAI

KARHATIA LALGANJ VAISHALI VAISHALI BIHAR 999999

Mob. No.8890000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3057** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0345/2009** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3057 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P3057	4/2/2007	0345/2009	8/25/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 165/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

KRISHNANDAN MAHTO

UMA SHANKAR MAHTO

KARHARWA SINGHWAHINI SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 845405

Mob. No.9709543297


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3076** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या 476/2019 का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3076 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P3076	4/9/2007	476/2019	9/15/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 166/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MAHESH KUMAR

LT.YAMUNA PD.THAKUR

BARIDASPUR KANTI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No.7980000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3074** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **085/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3074 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P3074	4/9/2007	085/2014	6/18/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 167/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

ASHOK KUMAR

S/O RADHA MOHAN MAHTO

VILL-GENHARA PO-JAMUNIYA PS-SAHODRA E.CHAMPARAN PURBA

CHAMPARAN BIHAR 999999

Mob. No.8294352111


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3110** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **076/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3110 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P3110	4/16/2007	076/2019	4/7/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 168/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAJESH KR SINGH

S/O BALDEV SINGH

AT MAHUA SINGH ROY PO+PS MAHUA VAISHALI VAISHALI BIHAR

844101

Mob. No.8900000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3141** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **000270/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3141 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P3141	4/30/2007	000270/2014	10/8/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 169/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAKESH KUMAR

MAHESHWAR RAI

GANGADHARA PUR TARIYANI SHEOHAR SHEOHAR BIHAR 999999

Mob. No. Not Available


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3162** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0034A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3162 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P3162	5/8/2007	BR2020-SC- 0034A	1/10/2025

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 170/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

DULARI DEVI

W/O RAM NARESH SINGH

AT PO-CHINTAMANPUR PS-PIPRA EAST CHAMPARAN SARAN BIHAR

841301

Mob. No.9973358430


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR04M3051** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0079A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR04M3051 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR04M3051	5/21/2007	BR2020-SC- 0079A	1/22/2025

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 171/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SMT.GEETA DEVI

ANIL KUMAR

KESARIYA KESARIYA E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR

999999

Mob. No.8989890000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3208** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **537/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3208 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P3208	5/21/2007	537/2019	9/23/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 172/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SMT.POONAM GUPTA

W/O -KAMLESH KUMAR

AT/PO-CHUHADI PS-CHANPATIYA AT-PO-CHUADI BETTIAH PASHCHIM
CHAMPARAN BIHAR 845401

Mob. No.7717753940


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P0585** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या 14/2014 का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P0585 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR22P0585	6/19/2007	14/2014	6/10/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 173/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

IMTYAZ HUSSAIN

S/O -LT AKHTAR HUSSAIN

AT-MANSHA TOLA BETTIAH BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR

845438

Mob. No.9934927550


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR22P0605** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/106/SC/203/2007** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR22P0605 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR22P0605	7/27/2007	BR/106/SC/203 /2007	10/18/2027

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 174/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SUMUKH SAURABH

KAILASH MISHRA

ALKAPURI BHAGWANPUR SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 999999

Mob. No.7890000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P9696** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2022-SC-0374A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P9696 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P9696	9/6/2007	BR2022-SC- 0374A	2/20/2027

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 175/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MD.ISODULLAH & OTHERS

ABDUL KALAM

AMODEI RAMGARDHWA E.CHAMPARAN BIHAR 999999

Mob. No.6283781313


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3656** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या 474/2019 का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3656 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P3656	9/27/2007	474/2019	9/15/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 176/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

M/S ANAND TRAVELS

PROP.ANAND KR.SINGH

KOLHUA DADAR AHIYAPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

842001

Mob. No.9334726616


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3616** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/106/703/2009** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3616 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P3616	10/15/2007	BR/106/703/20 09	12/13/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 177/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

PREM KR CHOUDHARY

S/O RAMA NAND CHOUDHARY

67 MARIPUR MUSHHARI FARM MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

842001

Mob. No.7654324550


विषय:- आपके वाहन संख्या **JH01T9550** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **00244/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या JH01T9550 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
JH01T9550	11/2/2007	00244/2014	10/7/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 178/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAM BABU RAI

RAM NARESH RAI

GURDA GAUSNAGAR RUNNISAIDPUR SITAMARHI SITAMARHI BIHAR

844520

Mob. No.8421986961


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3861** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0257A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3861 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P3861	11/3/2007	BR2020-SC- 0257A	3/8/2025

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 179/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR SINGH

LATE KRISHNA SINGH

VILL SAHWAJPUR PO BHIKHANPUR PS AHYAPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 842004

Mob. No.8862902732


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3957** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2023-SC-0269A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3957 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P3957	11/15/2007	BR2023-SC- 0269A	1/16/2028

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 180/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

UMESH RAI

LT.NAND KISHORE RAI

SAMAUL SAHPUR RUNNISAIDPUR SITAMARHI SITAMARHI BIHAR

999999

Mob. No.7800000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3961** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0289A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3961 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P3961	11/19/2007	BR2020-SC- 0289A	3/11/2025

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 181/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

PRAKSH CHANDRA SINHA

JAGDISH CHASNDRA SIN

MAJHAULIA RD.RSULPUR KAZIMAHMADPUR MUZAFFARPUR

MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.9934980993


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3925** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2023-SC-0281A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3925 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P3925	11/19/2007	BR2023-SC- 0281A	1/17/2028

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 182/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MANOJ RAUT

MAHENDRA RAUT

VILL-PUNAURA PO PUNAURA PS PUNAURA SITAMARHI SITAMARHI

BIHAR 999999

Mob. No.8988000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P3967** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2022-SC-0199A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P3967 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P3967	11/20/2007	BR2022-SC- 0199A	1/18/2027

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 183/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR SINGH

S/O RAM DAYAL SINGH

KAHATPUR BALIYA BEGUSARAI BEGUSARAI BEGUSARAI BIHAR 999999

Mob. No.9430065899


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4116** की आयु **15 वर्ष** से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/SC/106/629/2011** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4116 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P4116	12/14/2007	BR/SC/106/629 /2011	10/1/2026

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 184/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MITHILESH KR.MISHRA

LT.HEMKANT MISHRA

SAHWAJPUR RIGA SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 845401

Mob. No.9934888543


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4137** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **484/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4137 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P4137	12/14/2007	484/2019	9/15/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 185/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RANDHIR KR SINGH

S/O SHANKAR SINGH

A/P-RAJA BAZAR JEHANABAD VILL-PIRMEKER TOLA DADANPUR

MOKAR SARAN BIHAR 804408

Mob. No.6203375510


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR25A9465** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2022-SC-0878A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR25A9465 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR25A9465	12/19/2007	BR2022-SC- 0878A	4/19/2027

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 186/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

KID Z PUBLIC SCHOOL
M/S USER KID Z PUBLIC SCHOOL
JHAPHAN SITAMARHI ROAD NEAR C R P F CAMP MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 999999
Mob. No.7980000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4324** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **391/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4324 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P4324	1/2/2008	391/2019	9/11/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 187/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SATYA NARAYAN RAI

VINDA RAI

175 GURUDAH GURUDAH SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 999999

Mob. No.7890000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4222** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0046A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4222 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P4222	1/2/2008	BR2020-SC- 0046A	1/13/2025

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 188/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SMT.VINITA DEVI

MANOJ KUMAR

HN-157 PAHADPUR PAHADPUR E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN

BIHAR 999999

Mob. No.7800000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4227** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2021-SC-0347A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4227 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P4227	1/2/2008	BR2021-SC- 0347A	2/25/2026

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 189/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

BINOD SINGH

JAGDISH NR .SINGH

SENWARIYA MAJHAULIA W.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR

842000

Mob. No.7488691990


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4245** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/114** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4245 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P4245	1/10/2008	BR/106/SC/BU S/2019/114	12/26/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 190/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SHATRUDAN THAUR

LT.RAMASHISH THAKUR

MADHAUL KUDHANI MUZAARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.8510000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4140** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0011A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4140 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P4140	1/21/2008	BR2020-SC-0011A	1/3/2025

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 191/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

HEMA DEVI

W/O -HARI SHANKAR JHA

AT-BELSAND PS-BELSAND SITAMARHI BIHAR 999999

Mob. No.9304705540


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR553625** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0420A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR553625 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR553625	1/22/2008	BR2020-SC- 0420A	8/16/2025

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 192/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

CHANDRAHAS

NAWAL KISHORE SINGH

AKHARAGHAT RD. AHIYAPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

999999

Mob. No.9980000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4358** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **340/2013** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4358 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P4358	1/29/2008	340/2013	7/17/2028

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 193/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

NEELAM KUMARI

W/O AJIT KUMAR JHA

JAGESHWAR BHAWAN SITAMARHI SITAMARHI SITAMARHI BIHAR

843302

Mob. No.9939061618


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30B6197** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0105/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30B6197 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR30B6197	1/29/2008	0105/2014	6/26/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


30/01/24
संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 194/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MANOJ KR RAY

S/O SHIV DAYAL RAY

MAHUA MAHUA VAISHALI VAISHALI BIHAR 844101

Mob. No.9973017410


विषय:- आपके वाहन संख्या **WB25D2989** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/SC/106/457/2011** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या WB25D2989 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
WB25D2989	2/2/2008	BR/SC/106/457 /2011	7/13/2026

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 195/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAVI RANJAN KR.JHA

HEMCHANDRA JHA

HN-93 BRLSAND BELSAND SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 999999

Mob. No.9800000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4425** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0618/2009** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4425 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P4425	2/9/2008	0618/2009	11/17/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 196/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MRITUNJAY KR.SINGH

CHANDRA SHEKHAR PD.S

NAYA GAUN DUMRI KATSARI SHEOHAR SHEOHAR BIHAR 999999

Mob. No.7890000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4500** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **000268/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4500 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P4500	2/26/2008	000268/2014	10/8/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 197/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

INDRA MOHAN SINGH

MAHENDRA SINGH

AT- LOHSARI ROAD MAHUA, SINGH RAI PO- MAHUA PS- MAHUA

VAISHALI BIHAR 844122

Mob. No.9430596572


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4605** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2022-SC-0175A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4605 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P4605	2/29/2008	BR2022-SC- 0175A	1/14/2027

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 198/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

NARENDRA K.SINGH

LR.S.P.NR.SINGH

SUNDARPUR KESARIA E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR

845405

Mob. No.9835045648


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4792** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **217/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4792 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P4792	3/27/2008	217/2019	4/23/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 199/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

M/S AMBIKA TRAVELS

KAUSHAL KISHOR SINGH

SHEKHPUR AKHARAGHAT MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

999999

Mob. No.8969858188


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4776** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0322A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4776 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P4776	3/31/2008	BR2020-SC- 0322A	3/16/2025

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 200/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

DAMODAR RAY

S/O DEOKI RAY

SHAHPUR MARICHA KUDHANI MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

842001

Mob. No.7980000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4874** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **364/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4874 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P4874	4/1/2008	364/2019	9/9/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 201/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MANOJ KUMAR

CHANDRA BHUSHAN SINH

PAHADPUR PAHADPUR E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR

999999

Mob. No.7800000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4871** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2021-SC-0424A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4871 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P4871	4/12/2008	BR2021-SC- 0424A	3/2/2026

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 202/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

M/S AMBIKA TRAVELS

RAM PRAVESH SINGH

SHEKHPUR AKHARAGHAT TOWN MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 999999

Mob. No.7091011236


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P4936** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0595/2009** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P4936 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P4936	5/8/2008	0595/2009	11/10/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 203/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SAVITRI MISHRA

SRI UDAY KR.MISHRA

CHHAKAR ROAD KAZIMOHAMADPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 842001

Mob. No.9473212139


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5039** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/106/SC/281/2006** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5039 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P5039	5/26/2008	BR/106/SC/281 /2006	12/21/2026

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 204/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAKESH KUMAR

S/O - YOGENDRA SHARMA

AT/PO/PS-LAURIYA LAURIYA BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR
845438

Mob. No.7766865601


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR1PA7211** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2023-SC-1450A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR1PA7211 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR1PA7211	6/3/2008	BR2023-SC- 1450A	5/15/2028

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 205/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SAURAV SINGH

ARVIND SINGH

VILL SAHBAJPUR PO BHIKHANPUR PS AHYAPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 842004

Mob. No.8877535715


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5200** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2021-SC-0533A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5200 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P5200	6/4/2008	BR2021-SC- 0533A	3/7/2026

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 206/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

KRISHNA SINGH

BHUP NARAYAN SINGH

JAGDISHPUR WARD NO-04 JAGDISHPUR PASHCHIM CHAMPARAN

BIHAR 845459

Mob. No.9718318109


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5301** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2023-SC-1830A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5301 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P5301	6/4/2008	BR2023-SC- 1830A	6/27/2028

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 207/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SUMANATH SAURABH

KAILASH MISHRA

ALKAPURI SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.8294619996


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5196** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2023-SC-1904A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5196 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P5196	6/11/2008	BR2023-SC- 1904A	7/4/2028

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 208/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SANJAY KR.DIWEDI

MURAT DUBEY

ARERAJ GOVINDGANJ E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN BIHAR

845405

Mob. No.9430826026


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5294** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **000068/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5294 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P5294	6/16/2008	000068/2014	6/18/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 209/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAKESH KUMAR JHA

SHIV SHANKAR JHA

VILL-RASULPUR ZILANI MAJHAULIA ROAD PO HPO PS KAZIMDPUR
MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 845401

Mob. No.9709543297


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5338** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2021-SC-3187A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5338 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P5338	6/30/2008	BR2021-SC- 3187A	12/22/2026

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 210/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

MURLEE SINGH

SURYADEO SINGH

TARIYANI CHAPRA CHAPRA SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 843321

Mob. No.9935565552


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5356** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमित संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/118** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमित निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5356 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमित का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमित संख्या	परमित की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P5356	7/2/2008	BR/106/SC/BU S/2019/118	12/26/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमित निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमित 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमित रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 211/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAM EKWAL RAI

SIGESHBAR RAI

BHARAULIA BHARAULIA MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.7890000000


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5587** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0273/2009** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5587 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P5587	8/7/2008	0273/2009	7/26/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 212/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

HARIBANSH NR SINGH

S/O R S SINGH

AT BRAHAMPURA PO-MIT MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR

842003

Mob. No.9430253400


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5642** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या 14/2019 का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5642 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P5642	8/12/2008	14/2019	4/11/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 213/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RENU MISHRA

W/O SATYADENDRA MISHRA

AT- RAJA BAZAR PO/PS- MOTIHARI MOTIHARI PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845401

Mob. No.9771129685


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR05P2205** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0351A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR05P2205 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR05P2205	8/30/2008	BR2020-SC- 0351A	3/17/2025

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 214/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAMJIVAN LATH

LATE DWARIKA PD LATH

SURSAND STM SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 843331

Mob. No.7783849995


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30P5181** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0121/2013** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30P5181 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR30P5181	9/1/2008	0121/2013	3/19/2028

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 215/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

ALOK TRAVELS

PROP. ALOK KUMAR SINGH

KOLHUA DADAR AHYAPUR MUZAFFARPUR BIHAR 842001

Mob. No.9524556377


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5794** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/92** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5794 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P5794	9/15/2008	BR/106/SC/BU S/2019/92	12/16/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 216/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SUMUKH SAURABH

KAILASH MISHRA

ALKAPURI, BHAGWANPUR SADAR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 842001

Mob. No.8294619996


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5796** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/106/SC/BUS/2019/37** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5796 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P5796	9/19/2008	BR/106/SC/BU S/2019/37	12/10/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 217/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

ANIL KUMAR SINHA

LATE HARI NANDAN PRASAD SRIVASTAV

AT - CHRISTIAN QUARTER BETTIAH PASHCHIM CHAMPARAN BIHAR

845438

Mob. No.9934927338


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR1PA7411** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/106/SC/585/2011** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR1PA7411 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR1PA7411	10/4/2008	BR/106/SC/585 /2011	9/12/2026

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 218/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

PAVAN KUMAR RAY

JATASHANKAR RAY

SIRISIYA BISHWASH CHANPATIYA CHANPATIYA PASHCHIM

CHAMPARAN BIHAR 845450

Mob. No.7004703026


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6227** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2022-SC-1083A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6227 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P6227	10/11/2008	BR2022-SC- 1083A	5/3/2027

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 219/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAJENDRA PRASAD

S/O LT LAXMI PRASAD

PATAURA LAL TOLA MOTIHARI E CHAMPARAN PASHCHIM

CHAMPARAN BIHAR 843111

Mob. No.8656569565


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5960** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **00215/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5960 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P5960	10/16/2008	00215/2014	10/4/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 220/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAJENDRA PD

S/O LAXMI PD

AT PATAWRA E CHAMPARAN E CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN

BIHAR 999999

Mob. No. Not Available


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P5961** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **00213/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P5961 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P5961	10/16/2008	00213/2014	10/4/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 221/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SHIV KUMAR LATH

LATE TULA RAM LATH

SURSAND STM SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 843302

Mob. No.7783849995


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30P0198** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR/106/SC/201/2011** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30P0198 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR30P0198	10/17/2008	BR/106/SC/201 /2011	3/1/2026

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 222/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SRINATH RAY

RAM SWARTH RAY

CHAINPUR PUPRI SITAMARHI SITAMARHI BIHAR 843320

Mob. No.9201219128


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30P0199** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **000275/2014** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30P0199 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR30P0199	10/17/2008	000275/2014	10/10/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 223 / परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30 / 01 / 2024

प्रेषित,

RAJIV KUMAR

SHATRIDHAN JHA

AGARVA MOTIHARI E.CHAMPRAN PURBA CHAMPARAN BIHAR 845405

Mob. No.8051610666


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6046** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **390/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6046 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P6046	10/20/2008	390/2019	9/11/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 224/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

SITA DEVI

BINOD PRAKASH KUMAR

DHANAIYA CHHAPRA SAHEBGANJ MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR

BIHAR 842001

Mob. No.9934064674


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6035** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2023-SC-1634A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6035 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P6035	10/23/2008	BR2023-SC- 1634A	6/6/2028

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 225/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAUSHAN KUMAR

BRAJ MOHAN PRASAD

136, GH, NAVRATANPUR INDRA NAGAR, PO PATNA 20 PATNA BIHAR

999999

Mob. No.8271058373


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR1PA0904** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **194/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR1PA0904 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR1PA0904	11/1/2008	194/2019	4/17/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 226/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

KEDAR SINGH

S/O LATE YOGENDRA SINGH

CHHATAUINE TARIYANI SHEOHAR SHEOHAR BIHAR 999999

Mob. No.8862902732


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6636** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2022-SC-1068A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6636 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P6636	11/17/2008	BR2022-SC- 1068A	5/1/2027

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 227/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

AMARTYA KUMAR

DUSHYANT KUMAR SINGH

WARD NO 12 VILL KHAIRWA PO MANIYARI PS SITAMARHI SITAMARHI
BIHAR 843302

Mob. No.8825237929


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR30C8751** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2021-SC-1336A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR30C8751 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR30C8751	12/13/2008	BR2021-SC- 1336A	7/15/2026

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 228/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

HARIVANS NR SINGH
S/O RAMESHWAR SINGH
AT - SANJAY CINEMA ROAD BRAHMPUTRA MUZAFFARPUR
MUZAFFARPUR BIHAR 800145
Mob. No.9572827111


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR38B7871** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **148/2019** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR38B7871 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR38B7871	12/24/2008	148/2019	4/11/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 229/परि0

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

RAM SURAT RAY

SIGESHBER RAI

BHATOULIA BHATOULIA MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.9006244277


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6707** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0307/2009** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6707 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P6707	1/9/2009	0307/2009	8/10/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 230/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

KAMESHWAR SINGH

FULENA SINGH

BAKHARI MAHOSM MOTIHARI E.CHAMPARAN PURBA CHAMPARAN

BIHAR 845401

Mob. No.9973566891


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6821** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **0108/2009** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6821 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P6821	1/24/2009	0108/2009	5/22/2024

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर ।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 231/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

NAWAL KISHORE RAI

JAGDISH RAI

RAMPUR HARI MINAPUR MUZAFFARPUR MUZAFFARPUR BIHAR 999999

Mob. No.9504954461


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6961** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2023-SC-0331A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6961 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P6961	1/28/2009	BR2023-SC- 0331A	1/23/2028

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

ज्ञापांक:- 232/परि०

मुजफ्फरपुर, दिनांक:- 30/01/2024

प्रेषित,

VINOD MISHRA

UMAKANT MISHRA

BALUA CHOWK MOTIHARI E.CHAMPARAN BIHAR 999999

Mob. No.9801267697


विषय:- आपके वाहन संख्या **BR06P6825** की आयु 15 वर्ष से अधिक होने के बावजूद परमिट संख्या **BR2020-SC-0333A** का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से नहीं कराने पर परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर रोक लगाने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके वाहन संख्या BR06P6825 की आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, परन्तु राज्य परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 7958 दिनांक 19.10.2020 के आलोक में आपके द्वारा उक्त वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन उच्च मॉडल के वाहन से अबतक नहीं कराया गया है। विभागीय प्रावधानानुसार 15 वर्ष से अधिक पुरानी वाहन का परिचालन प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक नहीं किया जाना है। इस संबंध में प्राधिकार के सभी बैठकों में भी सभी वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया कि वाहन की आयु 15 वर्ष होने के पूर्व उच्च मॉडल के वाहन से स्थायी प्रतिस्थापन करा लेंगे, परन्तु आपके द्वारा उक्त वाहन की आयु 15 वर्ष होने के बावजूद बिना प्रतिस्थापन कराये प्रतिदिन 100 कि०मी० से अधिक अवैध परिचालन किया जा रहा है, जो प्राधिकार के आदेश का उल्लंघन है।

वाहन संख्या	निबंधन की तिथि (mm/dd/yyyy)	परमिट संख्या	परमिट की वैधता (mm/dd/yyyy)
BR06P6825	1/29/2009	BR2020-SC- 0333A	3/16/2025

अतएव आपके उक्त वाहन का परमिट निलंबित करते हुए परिचालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है।

साथ ही निदेशित किया जाता है कि अपने वाहन का परमिट 15 दिनों के अन्दर उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन करा लें, अन्यथा उक्त परमिट रद्द कर टाईम स्लॉट Free कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।